speed post

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: **NCST/SER-815/UP/6/2023-SSW** दिनांक: 16.03.2023

1.**प्रो. के. पी.सिंह**
उप कुलपति
महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखंड विश्वविदयालय
बरेली -243006 (उत्तर प्रदेश)
ई मेल: vcoffice@mjpru.ac.in

2.**श्री अमित कोठीवाल**
प्रबन्ध एवं सचिव
हिन्दू कॉलेज
मुरादाबाद -244001 (उत्तर प्रदेश)

विषय: **अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी के साथ कॉलेज द्वारा अत्याचार के संबंध में - डॉ श्याम सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, भूगोल विभाग, हिन्दू कॉलेज, मुरादाबाद (उ.प्र.) का दिनांक 16.09.2022 का अभ्यावेदन।**

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को **श्री डॉ श्याम सिंह** से दिनांक **16.09.2022** में एक याचिका प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 15 **दिनों के भीतर** आयोग को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खण्ड (8) के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है ।

(आर. एस. मिश्र / R.S. Misra)
अनुसंधान अधिकारी / Research Officer
दूरभाष सं.: 24641640

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. डॉ श्याम सिंह,
एसोसिएट प्रोफेसर, भूगोल विभाग,
हिन्दू कॉलेज,
मुरादाबाद-244001
(उ.प्र.)
मो नं. 9690918121
2. NIC, NCST (please upload on the website)